न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, हरिद्वार।
जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 144 / 2026
कम्प्यूटर संख्या– 249 / 2026

विकास प्रति राज्य

मु0अ0सं0: 173 / 2026
धारा 60 (2)आबकारी अधिनियम।
थाना सिडकुल, हरिद्वार।

राज्य की ओर से विद्वान अभियोजन अधिकारी श्री बी0पी0टम्टा।
अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री सागर राठौर।

दिनांक 06.05.2026

अभियुक्त विकास पुत्र सुरेन्द्र, जो उपरोक्त मामले में दिनांक 05.05.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है, की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

अभियुक्त की ओर से विद्वान जमानत प्रार्थना पत्र पेश कर संक्षेप में कथन किया गया है कि वह निर्दोष है, उसे झूठा फंसाया गया है। उसके द्वारा कथित अपराध नहीं किया गया है। उससे कोई बरामदगी नहीं है। घटना का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। अतः अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

विद्वान अभियोजन अधिकारी द्वारा अपराध को अजमानती बताते हुये, जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध किया है।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान अभियोजन अधिकारी को सुना तथा अभियोजन प्रपत्रों का अवलोकन किया। मामला मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय है। अभियुक्त दिनांक 05.05.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है। अभियुक्त का कोई अपराधिक इतिहास नहीं प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्त न्यायालय के आदेशानुसार सक्षम प्रतिभू दाखिल करनें को तैयार है। अतः इस स्तर पर मामले के गुण दोष पर कोई राय व्यक्त किये बिना अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अभियुक्त का जमानत पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्त विकास का जमानत प्रार्थना पत्र उपरोक्त मु0अ0सं0 में स्वीकार किया जाता है। अभियुक्तगण के द्वारा ₹ 30,000 / –रूपये का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं समान धनराशि के दो जमानती प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाये। प्रतिभूगण इस आशय का शपथ पत्र देगें कि उनके द्वारा किसी अन्य मामले में जमानत नहीं ली तथा शपथ पत्र के साथ अपने आधार कार्ड की प्रति एवं शपथ पत्र में अपना मोबाइल नम्बर भी अंकित करेगें। आदेश NJDG पोर्टल पर अपलोड किया जाये।

(संदीप कुमार)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
हरिद्वार।